

प्रेस नोट

जनपद भदोही

दिनांक: 26 सितम्बर 2026

भदोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गोवंश तस्करी करने वाले शातिर अंतरराज्यीय गिरोह के गैंग लीडर सहित 04 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत, गैंग का एक सक्रिय सदस्य गिरफ्तार

श्री अभिनव त्यागी पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक भदोही ***श्री शुभम अग्रवाल*** के पर्यवेक्षण में अपराधियों और संगठित माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, थाना कोईरौना पुलिस द्वारा गोवंश की अवैध तस्करी करने वाले एक अत्यंत शातिर और भय का पर्याय बन चुके अंतरराज्यीय गिरोह के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मुकदमा पंजीकृत कर बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही, त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने गैंग के एक गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का विवरण:-

यह गिरोह अत्यंत संगठित होकर समाज विरोधी कार्यों में लिप्त है। इनके बढ़ते अपराधों और समाज में व्याप्त भय व दहशत पर अंकुश लगाने हेतु थाना कोईरौना पुलिस द्वारा एक विस्तृत गैंग चार्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया था। इसके अनुपालन में थाना कोईरौना पर इन अभियुक्तों के विरुद्ध मु०अ०सं० 174/26 धारा 3(1) उ०प्र० गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गैंगलीडर एवं सदस्यों का विवरण:-

1. गैंग लीडर इकबाल कुरैशी पुत्र नसीम कुरैशी - निवासी: वॉर्ड नंबर 2, पठान टोला चैनपुर, थाना चैनपुर, जनपद भभुआ (कैमूर), बिहार।
2. सक्रिय सदस्य ओमप्रकाश कनौजिया उर्फ विशाल पुत्र लाल बहादुर कनौजिया उम्र करीब 20 वर्ष - निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।
3. सक्रिय सदस्य राहुल कुमार पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 30 वर्ष - निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।
4. सक्रिय सदस्य अमित सिंह उर्फ सूर्यभान सिंह उर्फ सुहुल उर्फ शिवम पुत्र जटाशंकर सिंह - निवासी: ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।

अपराध का तरीका एवं पंजीकृत अभियोग:-

यह गिरोह एक सुसंगठित अंतरराज्यीय गैंग है जो अपने और अपने सदस्यों के नाजायज आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ के लिए क्रूरतापूर्वक गोवंशों (बैल/सांड) को वाहनों में लादकर वध हेतु पंडुआ (पश्चिम बंगाल) ले जाने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है। इसी आपराधिक कृत्य के तहत, दिनांक 08.03.2026 को तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री रामनगीना यादव द्वारा पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा गया था, जिसमें क्रूरतापूर्वक लादे गए 03 राशि गोवंश (बैल/सांड) बरामद हुए थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना कोईरौना पर मु०अ०सं० 35/2026 (धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 207 एमवी एक्ट) पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण:-

गैंगस्टर एक्ट के पंजीकरण के बाद, थाना कोईरौना पुलिस टीम द्वारा उक्त गिरोह के एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमित सिंह उर्फ सूर्यभान सिंह उर्फ सुददुस उर्फ शिवम सिंह (उम्र करीब 20 वर्ष), पुत्र जटाशंकर सिंह, निवासी- ग्राम इटहरा, थाना कोईरौना, जनपद भदोही।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० श्री काशीनाथ यादव (थाना कोईरौना) एवं हमराही फोर्स।